२।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 561–चार/04 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.1.04 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 78/अ–56/2001–2002 अपील .

रामसेवक चढार आत्मज रामलाल चढार

निवासी ग्राम सिरचोपी तहसील बीना

जिला सागर म0प्र0 ––– आवेदक

विरूद्ध

1– रामलाल पिता फौदल रैकवार

2– बब्बू पिता सोमत रैकवार

3– गोपाल पिता प्राग रेकवार

4– मालिक सिंह पिता मर्दनसिंह

सभी निवासी भोजपुर तहसील बीना

जिला सागर म0प्र0

5– इमरत सिंह पिता गोपीलाल

निवासी ग्राम सिरचोपी तहसील बीना जिला सागर

6– जगत सिंह पिता सिरदार सिंह

निवासी लखाहार तहसील बीना जिला सागर

7– तहसीलदार बीना जिला सागर म0प्र0

––– अनावेदकगण

(आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0बी0 भटट्)

(आनावेदक –1 के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण राज सिंह)

(अनावेदक 2 से 6 पूर्व से एक पक्षीय तथा अना.–7 शासन)

आ दे श

(आज दिनांक 6–11 – 2015 को पारित)

यह अपील आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 78/अ–56/2001–2002 अपील में पारित आदेश दिनांक 6.1.2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में दो अपील पर निराकरण हो जाने के कारण यह प्रकरण परिवर्तित कर निगरानी की संहिता धारा 50 के अर्न्तगत निराकरण किया जायेग क्यों कि दो अपील करने के पश्चात तीसरी अपील करने का प्रावधान नहीं है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम भोजपुर तहसील बीना जिला सागर में पदस्थ कोटवार हलकाई पिता बलबंत की मृत्यु होने से कोटवारी पद रिक्त होने के कारण नायब तहसीलदार भानगढ द्वारा उदघोषणा जारी की गयी आवेदक एवं अनावेदकगण ने नायब तहसीलदार कार्यालय में कोटवार पद पर नियुक्ति होने बाबत आवेदन प्रस्तुत किये । 1–इमरतलाल पिता गोपीलाल चढार 2–जगतसिंह पिता सरदार सिंह खंगार 3– झब्बू पिता सोमत आदिवासी 4–गोपाल पिता प्राग रैकवार 5–मालिक सिंह पिता मर्दन सिंह दांगी ठाकुर 6– रामसेवक पिता रामलाल चढार 7– रामलाल पिता फौदल रैकवार आदि ने आवेदन पत्र जमा कराये, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा थाना प्रभारी भानगढ़ से आवेदकों की चरित्र सत्यापन रिर्पोट मांगी गई । थाना प्रभारी भानगढ़ द्वारा समस्त आवेदकगण के बारे चरित्र सत्यापन रिपोर्ट भेजते हुये बताया कि आवेदक रामसेवक चढ़ार के बारे में कोई भी आज तक थाने में शिकायत दर्ज नहीं है।

इसी प्रकार ग्रामवासी भोजपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम भोजपुर से ही कोटवार को नियुक्त किया जावे, जिसको दृष्टिगत रखते हुये रामलाल पिता फौदल को ग्रामवासियों ने अनुशंसा की है कि रामलाल कक्षा–4 उत्तीर्ण है, शरीर से स्वस्थ है, चरित्र भी अच्छा है । रामलाल पिता फौदल को ग्राम भोजपुर का कोटवार नियुक्त किया गया, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष अपील 17/अ–56/2000–2001 दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 6.11.2001 से अपील निरस्त कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो प्र0 क0 अपील 78/अ–56/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 6.1.2004 को निरस्त कर दी गई। इसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3– निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा लिखित बहस का अवलोकन किया तथा तर्क सुने गये एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया ।

4– अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ग्राम सिरचौपी का निवासी है, वह पंचायत सिरचौपी में है और इसी ग्राम पंचायत के अधीन ग्राम भोजपुर है। उत्तरवादी कमांक –1 ग्राम भोजपुर का निवासी है, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ग्राम कोटवार की नियुक्ति बावत 'ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव रखा गया था और अपीलार्थी की नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी थी लेकिन जिलापंचायत सदस्य की अनुशंसा पर उत्तरवादी क0–1 की नियुक्ति कर दी गयी जो विधि विरूद्व व गैर कानूनी है ।

5–अनावेदक कमांक –1 के अधिवक्ता ने अपने लिखित तर्क में कहा है कि ग्राम भोजपुर में ग्राम कोटवार के पद पर हल्काई तनयबलवंत पदस्थ था उसकी मृत्यु होने के उपरांत पद रिक्त होने से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत आवेदन पत्र कोटवार पद हेतु बुलाये गये । सभी आवेदन पत्रों पर विचार किया जाकर ग्राम भोजपुर के स्थाई

निवासी, कक्षा चौथी उत्तीर्ण होने तथा भोजपुर की अनुशंसा जिला पंचायत सदस्य की अनुशंसा एवं पुलिस थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिअपीलार्थी कमांक–1 रामलाल की नियुक्ति ग्राम कोटवार भोजपुर के पद पर की गई है, वह विधि के अनुसार सही है ।

4– कोटवारी नियमों में कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 230 नियम 7 (2) एवं (4) में जो अर्हतायें दी गई हैं, उनमें आवेदक का शिक्षित होना, कर्तव्यों का पालन करने के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना, तथा 21 वर्ष से कम आयु का होना उल्लेखित किया गया है । यह बिन्दु विचारणीय है कि जब ग्राम भोजपुर का ही आवेदक उपलब्ध हो तो ग्राम पंचायत के दूसरे ग्राम सिरचोपी के निवासी को कोटवार नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है । यह सही है कि कोटवार नियुक्ति में सेवा–निवृत्त कोटवार के रिश्तेदारों को अन्य बाते समान होने पर अग्रिमान्यता दी जा सकती है । मगर जब निकट संबंधी दूसरे ग्राम के निवासी हों तो प्राथमिकता ग्राम के निवासी को ही देनी चाहिये । अपीलार्थी मृतक कोटवार हल्कई पिता बलंबत का रिश्ते में भांजा लगता है । जो नजदीकी रिश्तेदार है । मगर दूसरे ग्राम का निवासी है । इसलिये उसे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है । जहां तक शिक्षा का प्रश्न है अपीलार्थी कक्षा 5 वी उत्तीर्ण है तथा अनावेदक चौथी कक्षा तक उत्तीर्ण है, इसलिये उनका शैक्षणिक योग्यता में विशेष अन्तर नहीं है । तथा ग्रामवासियों द्वारा भी अनुशंसा की गई है । नायब तहसीलदार द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अनावेदक को कोटवार नियुक्त किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही माना गया है और आयुक्त सागर संभाग सागर ने दोनों न्यायालय के आदेश समवर्ती होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं माना तथा आवेदक की अपील निरस्त की है ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि नायब तहसीलदार का प्र0क0 2/अ–56 000–2001 में पारित आदेश दिनांक 11.1.2001 अनुविभागीय

अधिकारी का प्रकरण क्रमांक 17/अ–56/2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 6.11.2001 तथा आयुक्त सागर संभाग सागर का प्र0क0 78/अ–56/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 6.1.2004 सही होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः निगरानी निरस्त की जाती है ।

प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

प्रकरण दाखिला द0 हो ।

उभय पक्ष सूचित हों ।

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर